पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०स०–07/12 - 131

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉंची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची।

रॉंची, दिनांक : 17-10-12

विषय :– मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड–50P470200796200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत् परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–लघु सिंचाई विभाग /4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य	05–निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण/ 50P470200796200543	80.00

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ अस्सी लाख मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–2013 के बजट उपबंध **₹ 350.00 लाख (₹ तीन करोड़ पचास लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण** 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 131 राँची, दिनांक :– 17-10-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/जमशेदपुर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 131 राँची, दिनांक :– 17-10-12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(ओंकार नाथ)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी॰ सी॰ निगम)	**(एस॰ के॰ शतपथी)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	विशेष सचिव	**प्रधान सचिव**

पत्रांक – 131 / राँची, दिनांक – 17-10-12 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
लघु शीर्ष–796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण,
विपत्र कोड–50P470200796200543
बजट उपबंध (वर्ष 2012–13) रू॰ 350.00 लाख

राशि (लाख ₹में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमंडल	जिला	प्रखण्ड		योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन				अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	मार्च 12 तक व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
मध्यम सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन												
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी	राँची	बुण्डू	1	हुरली मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	46/03.03.11	80.160	28.644	25.000	29.000	54.000	
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	पू॰ सिंहभूम	पटमदा	1	साहेबबाँध तालाब योजना का जीर्णोद्धार	56/28.03.11	138.370	50.000	40.000	51.000	91.000	
								योग	65.000	80.000	145.000	
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ अस्सी लाख मात्र।												

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उपसचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव